न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0**
राजस्व अपील संख्या : 2021/115

–: अपीलान्ट :–	बनाम	–: रेस्पोडेन्टस :–
1. रूपाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी रजलानी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. ग्राम पंचायत रजलानी 2. कानाराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी रजलानी तहसील भोपालगढ़ 3. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 स्वयं उपस्थित।

निर्णय **दिनांकः–13/12/2021**

वकील अपीलान्ट ने एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध ग्राम पंचायत रजलानी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 4195 दिनांक 25.11.2020 को निरस्त करने बाबत् पेश किया जिसमें बताया कि ग्राम रजलानी ग्राम पंचायत रजलानी तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 1070 खसरा नं. 235 रकबा 9.0731 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि स्थित है। अपीलान्ट दिनांक 28.09.2020 को ग्राम रजलानी की सरहद में भूमि खाता संख्या 1070 रकबा 9.0731 हैक्टेयर में अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से की 1/6 अपने हिस्से की भूमि पर लोन लेने हेतु पटवारी हल्का रजलानी से मिला तो खाता संख्या 1070 में अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में नही मिला। अपीलान्ट ने ग्राम रजलानी के खाता संख्या 1070 के खसरा नं. 235 रकबा 2.4362 हैक्टेयर अपने 1/6 हिस्सा दिनांक 18.09.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को बेचान किया था लेकिन पटवारी हल्का रजलानी व ग्राम पंचायत रजलानी द्वारा राजस्व रेकर्ड का अवलोकन व दिनांक 18.09.2020 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 198 पृष्ठ संख्या 186 क्रम संख्या 2020003060102232 पर बेचान पंजीबद्ध का भी अवलोकन नही कर ग्राम रजलानी के खाता संख्या 1070 खसरा नं. 197/1 रकबा 3.9093 हैक्टेयर व खसरा नं. 200 रकबा 2.7276 हैक्टेयर भूमि में भी 1/6 वां हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया जो कि गलत है। सरपंच ग्राम पंचायत रजलानी द्वारा अपीलाधीन म्यूटेशन 4195 दिनांक 25.11.2020 को पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की गयी है। सरपंच ग्राम पंचायत रजलानी द्वारा बिना अपीलान्ट के पूछताछ करके म्युटेशन रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम दर्ज करवा दिया गया जो अपीलाधीन म्यूटेशन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन म्यूटेशन निरस्त करने का आदेश फरमावे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गयी एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट रजलानी में पेश हुई। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 तथा पटवारी रजलानी एवं भू.अ.नि. रजलानी ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार मण्डल रजलानी के नामा. संख्या 4195 जो दिनांक 25.11.2020 पर [illegible] ग्राम पंचायत रजलानी द्वारा स्वीकृत किया गया। विक्रय विलेख क्रमांक 2020003[illegible]0223[illegible] दिनांक 18.09.2020 के अनुसार अपीलान्ट रूपाराम द्वारा अपने खाता संख्या 1070 के खसरा नं. 235 [illegible] सीमा में से 1/6 वां हिस्सा अर्थात् अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया था। परन्तु ना[illegible]ज करने में त्रुटि से खाता सख्या 1070 में अन्य खसरे 197/1 रकबा 3.9093 हैक्टेयर व खसरा नं. 200 रकबा 2.7276 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय की भूमि भी बिना बेचान किये अपीलान्ट का 1/6 वां हिस्सा [illegible]पोडेन्ट संख्या 02 कानाराम के नाम हो गया जो अशुद्ध है। अतः उक्त सम्पूर्ण नामा. संख्या 4195 खारिज करके केवल खसरा नं. 235

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 11:55:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

में अपीलान्ट का 1/6 वां हिस्सा रेस्पोडेन्ट कानाराम के नाम पुनः नामा. खोलने का आदेश दिया जाना उचित है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 तथा पटवारी रजलानी एवं भू.अ.नि. रजलानी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अवलोकन उपरान्त अपीलान्ट की अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः अपीलान्ट की अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रजलानी द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 4195 दिनांक 25.11.2020 को अपास्त कर तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उप पंजीयक भोपालगढ़ द्वारा पंजीबद्ध बेचान दिनांक 18.09.2020 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 198 पृष्ठ संख्या 186 क्रम संख्या 202003060102232 के अनुसार नामा0 की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

(सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर))

निर्णय आज दिनॉक 13.12.2021 को मज में आम में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

(सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर))

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 11:55:23 IST
Reason: SelfAttested